



राजस्थान-सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358

Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com



क्रमांक:- निरांशि/संस्था-1/पं. विद्या संबल योजना/राजकाज न. 1050/2023/20969

दिनांक: 14-8-23

विज्ञप्ति

राजस्थान सरकार, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: पं. 6(2) वित्त /साविलेनि/2021जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन उप सचिव शिक्षा (मुप-6) के पत्र क्रमांक पं.1(17)शिक्षा-6/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक 16.06.2023 एवं सहायक शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक पं.1(17) संस्कृत शिक्षा/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक 20.07.2023 के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के विभाग के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर **विद्या संबल योजना** के अन्तर्गत पात्र सेवानिवृत्त/ निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में आमन्त्रित किया जाता है। उक्त योजना के तहत गैस्ट फ़ैकल्टी के पदों/योग्यतायें/शर्तों और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फ़ैकल्टी के पद एवं योग्यताएं :-

क्र.सं.	पदनाम	योग्यता
1	सहायक आचार्य (विभिन्न विषय)	राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवानियम-2022 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

(सेवानियमों का <https://rajsanskrit.nic.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।)

नोट-

- 1 गैस्ट फ़ैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 2 विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त /निजी अभ्यर्थी लगाये जायेंगे।
- 3 सेवानिवृत्त शिक्षक गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
- 4 सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

(2) रिक्तियां-

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में महाविद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जायेगा। रिक्त पद पर आवश्यकता के आंकलन उपरान्त आवश्यकतानुसार ही लगाया जायेगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन-

BR

महाविद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन संबंधित महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड/क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, कार्यालय, नोटिस बोर्ड नोडल अधिकारी गैस्ट फ़ैकल्टी,, तथा विभागीय वेबसाइट <http://:rajsanskrit.nic.in> पर किया जायेगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया-

किसी भी पद हेतु सेवानिवृत्त (65 वर्ष तक के आयु के)/ निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक महाविद्यालय समय में नोडल अधिकारी गैस्ट फ़ैकल्टी, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी नगर, जयपुर 302015 को स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अभ्यर्थी को आवेदन करते समय कार्य हेतु इच्छानुसार वरीयता क्रम में पाँच इच्छित महाविद्यालयों का विकल्प देना होगा।

(5) वरीयता का निर्धारण-

विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फ़ैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त महाविद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा।

वरीयता सूची के प्रकाशन से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है-

- 1 आवेदन पदों की जांच नोडल स्तर पर गठित समिति द्वारा/निदेशालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। नोडल महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। निदेशालय स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन के पश्चात गैस्ट फ़ैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।
- 2 प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से उपर रखा जायेगा। गैस्ट फ़ैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना-

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा नोडल अधिकारी के कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। गैस्ट फ़ैकल्टी से सम्बन्धित समस्त कार्य नोडल अधिकारी के स्तर पर ही किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु मोबाईल नं 9413287087,9799886990 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानदेय :-

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गैस्ट फ़ैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	प्रति घंटा (60 मिनट) मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	सहायक आचार्य	800 रुपये	45000 रुपये

(8) अन्य शर्तें—

- व्यनित अभ्यर्थी को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में आमन्त्रित किये जाने पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संबंधित प्राचार्य द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में शिक्षा सत्र 2023-24 अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
- गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जावेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
- गैस्ट फ़ैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।
- विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फ़ैकल्टी के रिक्त पदों पर मानदण्डानुसार न्यूनतम छात्र संख्या होने पर ही नियुक्ति दी जानी है।
- किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र तथा कार्यमुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा। दूरभाष के माध्यम से आमन्त्रित किया जायेगा।

(9) टाईम टेबिल -


क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 16.08.2023	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2	दिनांक 16.08.2023 से 22.08.2023 (महाविद्यालय समय में)	आवेदन करने की तिथि
3	दिनांक 23.08.2023	प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची प्रकाशित करना (नोडल द्वारा)।
4	दिनांक 24.08.2023 एवं 26.08.2023	पात्रता की जांच करना एवं अनुमोदन करवाना।
	दिनांक 28.08.2023	वरीयता सूची बनाना (अस्थाई) एवं जारी करना।
5	दिनांक 31.08.2023	आपत्तियां मांगना।
6	दिनांक 01.09.2023 से 02.09.2023	मूल दस्तावेजों की जांच करना।
7	दिनांक 04.09.2023	अन्तिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)।
8	दिनांक 05.09.2023	गैस्ट फ़ैकल्टी को आमन्त्रित करना।
9	दिनांक 09.09.2023	कार्यारम्भ की अन्तिम तिथि।

संलग्न:-1. वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 30.03.2021

2 शपथ पत्र का प्रारूप।

R

3. आवेदन पत्र का प्रारूप।


(डॉ० भास्कर शर्मा)
निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
- 3 विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
- 4 उपशासन सचिव (शिक्षा ग्रुप-6) शासन सचिवालय जयपुर।
- 5 प्राचार्य, राजकीय शास्त्री/आचार्य संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान।
- 6 वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली।



निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान-सरकार


निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ % 0141&2704357 📠 % 0141&2704358



Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com

क. सं.	महाविद्यालय का नाम	गैस्ट फ़ैकल्टी हेतु विज्ञापित विषय
1	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटा	राजनीति विज्ञान
2	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय बीकानेर	व्याकरण
3	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर	हिन्दी, सामान्य संस्कृत
4	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दौसा	व्याकरण
5	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय बौली सवाईमाधोपुर	सामान्य संस्कृत, अंग्रेजी
6	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कोटकासिम अलवर	अंग्रेजी
7	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर	शुक्ल यजुर्वेद
8	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय भरतपुर	सामान्य संस्कृत
9	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराणा झुंझुनु	साहित्य, अंग्रेजी
10	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुर।	राजनीति विज्ञान
11	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महापुरा	राजनीति विज्ञान, सामान्य संस्कृत
12	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर	व्याकरण अंग्रेजी
13	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सैदपुरा	साहित्य
14	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कुण्डगेट सांवर	साहित्य, हिन्दी
15	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय पीठ डूंगरपुर	हिन्दी, अंग्रेजी
16	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बून्दी	अंग्रेजी
17	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बारां	सामान्य संस्कृत, अंग्रेजी
18	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय करौली	00
19	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सिवाडा चौहान	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, अंग्रेजी
20	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय जैसलमेर	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, अंग्रेजी
21	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बाडमेर	व्याकरण, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत
22	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय श्रीगगानगर	नव्य व्याकरण, सामान्य संस्कृत, अंग्रेजी
23	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय रटलाई	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, अंग्रेजी
24	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय साबूआना (टिब्बी)	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, साहित्य,
25	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय मारवाड (मूण्डवा)	अंग्रेजी, साहित्य
26	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय हमीरगढ	व्याकरण, अंग्रेजी
27	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय नारेडा	00
28	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय जोजावर	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, अंग्रेजी
29	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारुण्डा	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, अंग्रेजी
30	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय माण्डल जिला भीलवाडा	अंग्रेजी, साहित्य
31	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय रायसिंहपुरा	सामान्य संस्कृत, व्याकरण
32	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय डीडवाना	00
33	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय गलोद	अंग्रेजी
34	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सिरौही	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, अंग्रेजी
35	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय प्रतापगढ	सामान्य संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, अंग्रेजी

नोट:- विज्ञापित विषयों में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।


(डॉ०भास्कर शर्मा)


निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर



राजस्थान-सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-ri@nic.in

2018
75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

आवेदन का प्रारूप



- 1 आवेदक का नाम:-
 - 2 पिता का नाम:-
 - 3 आवेदित महाविद्यालय का नाम:-
 - 4 आवेदित पद एवं विषय का नाम
 - 5 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:-
 - 6 जन्म तिथि:-
 - 7 शैक्षणिक योग्यता: 1. आचार्य/अधिस्नातक (विषय.....)वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-1
 8. अन्य योग्यतायें:- 1.उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-2
2.उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-3
3.....उत्तीर्ण वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-4
 9. सेवानिवृत्त कार्मिक की स्थिति में पीपीओ नम्बर व सेवानिवृत्ति के समय धारित पद..... संलग्न-5
 - 10 निवास का पता:-
1. स्थाई
.....
2. वर्तमान
 - 11 मोबाईल नम्बर:-
 - 12 जाति वर्ग.....प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न-6
 - 13 अन्य(विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न-7
 - 14 मूलनिवास प्रमाण पत्र। संलग्न-8
 - 15 चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न-9 व 10
- आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची-संलग्नक 1 से 10 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गैस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
compellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फौकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फौकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फौकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फेकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता



राजस्थान-सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358
Email : dir-sans-rj@nic.in/sans.estt1@gmail.com

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/पं विद्या संबल योजना /राजकाज नं.1050/2023/

दिनांक

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फ़ैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिये वरीयता के मानदंड

क्र.सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
		80 प्रतिशत और उससे अधिक =21	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम =19	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम =16	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम =10
1	शास्त्री/स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =21	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम =19	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम =16	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम =10
2	आचार्य/स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =25	80 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निरावत अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम =20	
3	एमफिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक =7	55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम =05		
4	पीएच.डी.				
5	जेआरएफ सहित नेट	25			
	नेट	10			
	स्लेट या रोट	08			
		05			
6	शोध प्रकाशन (सहकमी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	06			
7	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक)	10			
8	पुरस्कार				
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02			

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।
(क) (i) एमफिल पीएचडी अधिकतम-25 अंक
(ii) जे आर एफ/नेट/रोट अधिकतम-10 अंक
(iii) अवाड की श्रेणी में अधिकतम-03 अंक

(डॉ० भास्कर शर्मा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Bhaskar Sharma
Designation: Director
Date: 2023.06.26 17:44:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4132073

